

कार्यालय सर्वेश्वर दास नगर पालिक निगम उच्चतर माध्यमिक शाला उत्कृष्ट  
अंग्रेजी माध्यम विद्यालय प्रबंधन समिति राजनांदगांव छ0ग0

// आदेश //

क्रमांक / 38 / योजना / अंग्रेजी माध्यम / 2020 राजनांदगांव, दिनांक / 6 / 2021

छ0ग0शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन के आदेश क्रमांक/एफ  
23-08/2020/36/अटल नगर नवा रायपुर दिनांक 03.07.2020 द्वारा सर्वेश्वर दास नगर  
पालिक निगम उच्चतर माध्यमिक शाला राजनांदगांव को सर्वेश्वर दास नगर पालिक निगम  
उच्चतर माध्यमिक शाला उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय प्रबंधन समिति राजनांदगांव को सौंप  
कर प्रतिनियुक्ति/संविदा भर्ती हेतु पद स्वीकृत किया गया है। उक्त पदों पर सर्वेश्वर दास नगर  
पालिक निगम उच्चतर माध्यमिक शाला उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय प्रबंधन समिति के निर्देश  
में नामांकित चयन समिति द्वारा साक्षात्कार के आधार पर चयनित अम्बर्थियों को उनके नाम के  
सम्मुख पदनाम, विषय एवं माध्यम पर निम्न शर्तों के अधीन संविदा नियुक्ति प्रदान किया जाता है।

क्र	नाम	पिता/पति का नाम	पता	पदनाम	विषय	माध्यम
1	प्रतिमा कैवर्त	श्री शंकरलाल कैवर्त	ग्राम मोहदा पोस्ट अण्डा (विल्हा) जिला विलासपुर	सहायक शिक्षक	विज्ञान समूह	अंग्रेजी माध्यम


-: नियम एवं शर्तें :-

- संविदा नियुक्ति पूर्ण रूप से अस्थायी है। शासन द्वारा यदि उक्त शाला में नियमित शिक्षकों की नियुक्ति की जाती है अथवा चयनित कर्मचारी द्वारा किये गये कार्य व्यवहार के आधार पर किसी भी समय समिति द्वारा पदच्युत किया जा सकता है।
- संविदा नियुक्ति पर 25300/-रु. (शब्दों में- पच्चीस हजार तीन सौ रुपये मात्र) एकमुस्त वेतन की पात्रता होगी। अन्य किसी प्रकार के अतिरिक्त विशेष भत्ता, महंगाई भत्ता, क्षतिपूर्ति भत्ता, गृह भाडा की पात्रता नहीं होगी।
- संबंधित कर्मचारी को दिनांक 10/11/2021 तक कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। नियत तिथि तक कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा।
- संविदा नियुक्ति 30.04.2021 तक के लिये होगी। कार्य मूल्यांकन एवं निष्पादन पत्रक के आधार पर संतोषप्रद पाये जाने पर एवं शासन से पद निरंतरता की स्वीकृति प्राप्त होने पर संविदा नियुक्ति पुनः बढ़ाई जा सकती है।
- संविदा पर नियुक्त कर्मचारी को छ0ग0शासन सामान्य प्रशासन विभाग संविदा नियुक्ति में दिये गये नियमानुसार अवकाश की पात्रता होगी। संविदा पर नियुक्ति कर्मचारी प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में 18 दिनों के आकस्मिक अवकाश तथा 03 दिनों की ऐच्छिक अवकाश की

*Signature*  
31/12/2021

पात्रता होगी। अवकाश की पात्रता की गणना पूर्ण महीनों के लिये आनुपातिक आधार पर की जायेगी।

6. संविदा पर नियुक्त कर्मचारी छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 से शासित होंगे।
7. संविदा पर नियुक्त कर्मचारी को संविदा सेवा की अवधि के लिये किसी भी प्रकार की पेंशन, उपदान, एवं मृत्यु लाभ आदि की पात्रता नहीं होगी।
8. संविदा अवधि के दौरान दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष द्वारा एक माह पूर्व सूचना या उसके एवज में एक माह का वेतन देकर नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।
9. संबंधित कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत शैक्षणिक एवं अन्य प्रमाण पत्र यदि असत्य पाये जाते हैं तो संबंधित को तत्काल पद से पृथक् कर अपराधिक प्रकरण दर्ज कराया जायेगा।
10. संबंधित कर्मचारी को जिला चिकित्सा अधिकारी (मेडिकल बोर्ड प्रमाण पत्र) से स्वास्थ्य परीक्षण कराकर एक सप्ताह के भीतर फीटनेस प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
11. पुलिस चरित्र सत्यापन में यदि कोई अपराधिक गतिविधियों या अन्य मामलों में सम्मिलित पाया जाता है तो संविदा नियुक्ति तत्काल समाप्त की जायेगी।
12. यह नियुक्ति छ0ग0 सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ 9-1/2012/1-3/रायपुर दिनांक 17 जनवरी 2013 द्वारा जारी छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम-2012 के अधीन होगी।
13. संबंधित कर्मचारी के कार्य एवं विवाद की स्थिति में उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय प्रबंधन समिति राजनांदगांव का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।

  
अध्यक्ष

सर्वेश्वर दास नगर पालिक  
निगम उच्च. माध्य. शाला  
उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय  
प्रबंधन समिति, राजनांदगांव

पृ. क्रमांक / 39 / योजना / अंग्रेजी माध्यम / 2020 राजनांदगांव, दिनांक 06/01/2021  
प्रतिलिपि-

1. प्रमुख सचिव, छ0ग0 शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन अटल नगर नवा रायपुर छ0ग0 को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
2. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय इंद्रावती भवन अटल नगर नवा रायपुर छ0ग0 को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
3. संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग दुर्ग को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत राजनांदगांव को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
5. आयुक्त, नगर पालिक निगम राजनांदगांव को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।

6. जिला शिक्षा अधिकारी राजनांदगांव को सूचनार्थ।